हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामी में जारी हुए
07.01.22	वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र पेश करने पर पत्रावली सीधे से तलब की गई। वादीगण ने प्रार्थनापत्र पेश कर प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नही चाहने हेतु निवेदन किया। वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली ~~फैसल~~ अन्तर्गत धारा 53-88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।	वा.पी.सी गाधी वा.मो.चू गाधी

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़